


ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग से संबंधित दिशा-निर्देश (स्नातक पाठ्यक्रम)

- 1- आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रवेशानुमति प्राप्त प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत सीट संख्या की 15 प्रतिशत ऑल इण्डिया कोटे की सीटों पर प्रवेश काउंसिलिंग की कार्यवाही ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से एम पी ऑनलाइन के द्वारा संपादित की जायेगी।
- 2- स्नातक पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग अंतर्गत ऑल इण्डिया कोटा काउंसिलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी किया जा चुका है, जो विभागीय वेबसाइट तथा एम पी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित है।
- 3- ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एम पी ऑनलाइन की पोर्टल www.ayush.mponline.gov.in पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रवेश हेतु पात्रता **म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 के अनुसार रहेगी।**
- 4- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों की मैरिट सूची का प्रकाशन किया जायेगा। मैरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेशानुमति प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। मैरिट क्रम अनुसार च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग के अनुसार अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा।
- 4- आवंटन उपरान्त अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग सेन्टर पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में अपने मूल दस्तावेज एवं आवंटित महाविद्यालय की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना होगा। रिपोर्टिंग केन्द्र पर आवंटित अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा। तदुपरान्त रिपोर्टिंग केन्द्र पर उपस्थित निजी आयुष महाविद्यालय का प्रतिनिधि आवंटित अभ्यर्थी को, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते हुये, ऑनलाइन प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेगा।
निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की फीस की जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा दूरभाष पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही "म0प्र0 प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल" की वेबसाइट पर भी संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 5- उक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 6- ऑल इण्डिया काउंसिलिंग अंतर्गत प्रवेश निरस्तीकरण हेतु समय निर्धारित किया गया है। किसी भी स्थिति में निरस्तीकरण समय-सीमा के भीतर ही स्वीकार्य होगा।
- 7- ऑल इण्डिया कोटे की काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट काउंसिलिंग हेतु अपात्र होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


 (डॉ० अरविन्द कुमार पटेल)
 औषधालय अधीक्षक
 संचालनालय आयुष म0प्र0